# अध्याय-चतुर्थ

## उत्तरप्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं तथा जनजातियों की सहभागिता: एक अवलोकन

### परिचय

भारत में उत्तर प्रदेश राज्य ने 1961 में बलवंतराय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया। ग्राम पंचायतों के अलावा, 1961 की क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनयम के तहत क्षेत्रीय समितियों और जिला परिषदों का गठन किया गया। यूपी ने 73 वें संवैधानिक संशोधन के अनुरूप एक नया पंचायती राज कानून बनाया। इसमें संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनयम 1961 जैसे दो मौजूदा अधिनियमों में संशोधन किया गया, जिसमें 73 वें संविधान संशोधन के अनुरूप प्रावधान शामिल हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.98 करोड़ है, जो 2001 में 16.62 करोड़ थी (भारत की जनगणना) राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 2.41 लाख वर्ग किमी है और देश के कुल क्षेत्रफल में इसका हिस्सा 3 फीसदी है, जबकि देश की आबादी में इसका हिस्सा 16.5 फीसदी है, जो 2001 में 16.16 फीसदी था। प्रति 2011 की जनगणना 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। जनसंख्या की औसत वार्षिक विकास दर राष्ट्रीय औसत 1.76 प्रतिशत से 2.02% अधिक है, ग्रामीण आबादी 1,06,774 गांवों (भारत की जनगणना 2011) में रहने वाले राज्य की कुल जनसंख्या का 77.73% है। सरकार द्वारा 2018 में प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, यू.पी. 2018 में 19 प्रमुख राज्यों के बीच 10

वीं रैंक पर रहा है , जिसमें 0.6281 के अखिल भारतीय औसत के मुकाबले 0.5442 पर मानव विकास सूचकांक है। राज्य में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समूहों के बीच मानव विकास के स्तर में अधिक अंतर हैं। उच्च जातियों की तुलना में मुस्लिम, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और जनजातियो की सामाजिक-आर्थिक स्थिति बहुत कम है।

राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है। पूरे राज्य को चार आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता था। पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और बुंदेलखंड, पहले तीन क्षेत्र गंगा के मैदानों में आते हैं, जबकि बुंदेलखंड दक्षिणी पठार का हिस्सा है।

**प्रशासनिक रूपरेखा**

राज्य 75 जिलों और 821 विकास खंडों में व्यवस्थित है। उत्तर प्रदेश में 51,914 ग्राम पंचायतें हैं।

**उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज**

चूँकि प्राचीन काल से ही पंचायती राज भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग रहा था, ऋगवेद में सभा और समितियों का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ है ग्रामीणों द्वारा निर्वाचित अपनी ग्राम सभा से था। हालांकि, ब्रिटिश राज के दौरान, विकेन्द्रीकृत शासन की इस प्राचीन प्रणाली ने अपना महत्व को कम दिया गया था। आजादी के तुरंत बाद भारत सरकार ने इस मूल्यवान सामाजिक संस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए और उत्तर प्रदेश भारत में पहला राज्य बन गया जिसके पास उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 और 15 अगस्त 1949 को लागू होने के साथ ही 35000 पंचायतें और 8000 हैं। 5 करोड़

40 लाख की तत्कालीन ग्रामीण आबादी की सेवा के लिए पंचायत अदालतों की स्थापना की गई थी।

राज्य ने 1961 में बलवंतराय मेहता समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया। ग्राम पंचायतों के अलावा, 1961 की क्षेत्र समिति और जिला परिषद का गठन क्षत्र समिति और जिला परिषद अधिनयम के तहत किया गया था। यूपी ने 73 वें संविधान संशोधन के अनुरूप एक नया पंचायत राज कानून बनाया गया। इसमें संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनयम 1961 जैसे दो मौजूदा अधिनियमों में संशोधन किया गया, जिसमें 73 वें संविधान संशोधन के अनुरूप प्रावधान शामिल हैं। 22 अप्रैल 1994 को संशोधित अधिनियम लागू हुए। उत्तरप्रदेश में भी पण पंचायती राज में राज्य वित्त आयोग और राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गयी है। उत्तरप्रदेश ने ग्रामीण पंचायतों के कार्यालय पांच वर्ष रखा हैं। एससी / एसटी आदिवासी , ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी इस प्रकार पंचायतों को और अधिकार और जिम्मेदारी दी गयी।[1]

उत्तरप्रदेश जिला पंचायत अधिनियम 1961 स्पष्ट रूप से क्षेत्र पंचायत (मध्यवर्ती पंचायत) और जिला पंचायत की शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों को पंचायत राज की निमावली धारा 31-38 में परिभाषित करता है, जबकि उत्तरप्रदेश पंचायत राज अधिनयम 1947 शासन के स्वाबलंबन को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। पंचायत राज की निमावली धारा 15 से 30 के तहत ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत) के कार्य का उल्लेख था। यह अधिनियम स्पष्ट रूप से पंचायत राज की निमावली धारा 3, 5 और 11 के तहत ग्राम सभाओं और इसकी बैठकों

और कार्यों से सम्बंधित था। हालांकि, पंचायत राज की निमावली में स्पष्ट शक्तियों, कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था।

**पंचायतों के विकास का पाचवां चरण (1983-84 से 1992-93)**

वर्ष 1988 में ग्राम पंचायतों का छठा सामान्य निर्वाचन सम्पन्न हुए। 1988 में ही पंचायत राज अधिनियम में संशोधन कर यह व्यवस्था की गयी कि गाव पंचायतों के सदस्य पदों पर 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व महिलाओं को प्राप्त हुआ। साथ ही यह भी व्यवस्था की गयी कि प्रत्येक गांव पंचायत में कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला को प्रतिनिधित्व रहा । इस आम चुनाव में गांव पंचायतों की संख्या 73927 तथा न्याय पंचायतों की संख्या 8814 थी जिसमें महिला प्रधानों की संख्या 930 तथा महिला सदस्यों की संख्या 1,50,577 थी जिसमें अनुसूचित जाति की महिला सदस्यों की संख्या 65937 थी। वर्ष 1989 में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरूषों एवं महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजना के कार्यान्वयन का भार ग्राम पंचायतों को सौंपा गया।[2]

**ग्राम पंचायतों के विकास का छठवा चरण (1993-94 से)**

भारतीय संविधान के निर्माण के समय ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त के अन्तर्गत अनुच्छेद - 40 में आधारभूत स्तर पर पंचायतो को मान्यता देते हुए यह कहा गया कि राज्य गांव पंचायतों को संगठित करने के लिए उपाय करेगा और उन्हें ऐसी शक्तिया और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप कार्य करने के लिए आवश्यक हैं। वर्ष 1994 में देश की ग्राम पंचायतो को संविधानिक इकाई मानते हुए स्वशासी संस्था के रूप मे स्थापित करने, उनमें एकरूपता लाने, निश्चित समय पर चुनाव कराने, आर्थिक रूप से उन्हें

सुदृढ़ करने तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से 72वा संविधान संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत किया गया जो बाद में 73वा संविधान संशोधन 1992 के रूप में 24 अप्रैल, 1993 से सम्पूर्ण देश में लागू हुआ। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम संख्या 9 विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल1994 से पूरे प्रदेश में लागू हुआ। इसमें महत्वपूर्ण रूप से शामिल किये गये-

1. पंचायतों का संगठन और संरचना का निर्माण।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था।

3.पंचायतों का निश्चित कार्यकाल का गठन।

4. पंचायतों के कृत्य, शक्तिया और उत्तरदायित्व का विस्तार किया गया।

5. राज्य निर्वाचन आयोग का गठन गया।

6. राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गयी।

उपर्युक्त व्यवस्थाओं के अंतर्गत उत्तरप्रदेश में यथासम्भव 1000 की आबादी पर ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। संविधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप आबादी के प्रतिशत के आधार पर पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष पदों एवं सदस्यों के स्थानों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग ( 27 प्रतिशत) एवं प्रत्येक वर्ग में महिलाओं के लिए एक तिहाई पदों एवं स्थानो पर आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि पंचायतों का कार्य काल 5 वर्ष हो एवं वह उसे पूरा कर सकें। संविधान एवं राज्य के पंचायत राज अधिनियमों मे किये गए प्राविधानो के अनुसार प्रदेश में अधिसूचना

दिनांक 23 अप्रैल, 1994 के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है और वर्ष 1994 से राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में 73वां संविधान संशोधन के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन सम्पन्न कराये जाते रहे हैं।[3]

**उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव, प्रतिनिधित्व और संरचना**

15 अगस्त 1949 को, यूपी में 5 करोड़ 40 लाख की तत्कालीन ग्रामीण आबादी पर लगभग 35000 पंचायतें और 8000 पंचायत अदालतें स्थापित की गईहै। जबकि दसवें आम चुनाव अक्टूबर से नवंबर 2010 में 51,914 ग्राम पंचायतों, 821 क्षेत्र पंचायत और 72 के लिए हुए थे। जिला पंचायत राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों के कालक्रम को नीचे तालिका 2 से संदर्भित किया जा सकता है:

**तालिका 4.1: यूपी राज्य में पंचायत चुनाव का कालक्रम**

| | |
|---|---|
| पहला | वर्ष 1949 |
| दूसरा | वर्ष 1955 |
| तीसरा | 10 फरबरी 1961 से 7 फ़रवरी 1962 |
| चौथा | वर्ष 1972 से 73 तक |
| पंचम | वर्ष 1982- जुलाई 1982 |
| छठा | वर्ष 1988 |
| सातवां | अक्टूबर 1996 दिसम्बर 1996 |
| आठवां | जून 2000 – अगस्त 2000 |
| नवीं | जून 2005- अक्टूबर 2005 |
| दसवीं | अक्टूबर 2010- नवम्बर 2010 |
| ग्यारहवीं | नवम्बर 2015- दिसम्बर 2015 |
| बारहवीं | अप्रैल-2021 मई- 2021 |

स्रोत: पंचायती राज विभाग, सरकार उत्तर प्रदेश और राज्य निर्वाचन आयोग

तालिका 4.1 का उल्लेख करते हुए यह देखा जा सकता है कि सातवें चुनाव के बाद से पंचायत चुनावों को नियमित कर दिया गया है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राज्य चुनाव आयोग (SEC) की स्थापना वर्ष 1994 में यूपी पंचायत राज आयोग 1947 में संशोधन के आधार पर की गई थी और 73 वें संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश पंचायत और जिला पंचायत अधिनयम 1961के अंतर्गत है । राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) राज्य निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में है, राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दर्जा नहीं दिया गया है। एसईसी के अलावा एक राज्य चुनाव आयुक्त में एक उप- चुनाव आयुक्त है। राज्य चुनाव आयुक्त, एक सचिव, एसईसी, दो संयुक्त राज्य चुनाव आयुक्त, एक संयुक्त चुनाव आयुक्त और अन्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा राज्य में एसईसी के तहत 240 पद हैं। जिला स्तर पर ए.एस.टी. जिला निर्वाचन अधिकारी जिला इकाई का प्रमुख होता है और एक अराजपत्रित पद होता है।

अलग-अलग राज्यों में, तीन स्तरों को अलग नाम दिया गया है। यूपी में यह ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत है और निर्वाचित प्रतिनिधियों को क्रमशः प्रधान, प्रधान और अध्यक्ष नाम दिया गया है। तालिका 4.2 उसी का नामकरण प्रस्तुत करती है।

तालिका 4.1 का उल्लेख करते हुए यह देखा जा सकता है कि सातवें चुनाव के बाद से पंचायत चुनावों को नियमित कर दिया गया है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राज्य चुनाव आयोग (SEC) की स्थापना वर्ष 1994 में यूपी पंचायत राज आयोग 1947 में संशोधन के आधार पर की गई थी और 73 वें संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश पंचायत और जिला पंचायत अधिनयम 1961। राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) राज्य निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में है, राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दर्जा दिया गया है।

राज्य चुनाव आयुक्त, एक सचिव, एसईसी, दो संयुक्त राज्य चुनाव आयुक्त, एक संयुक्त चुनाव आयुक्त और अन्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा राज्य में एसईसी के तहत 240 पद हैं। जिला स्तर पर ए.एस.टी. जिला निर्वाचन अधिकारी जिला इकाई का प्रमुख होता है और एक राजपत्रित अधिकारी होता है।[4]

अलग-अलग राज्यों में, तीन स्तरों को अलग नाम दिया गया है। यूपी में यह ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत है और निर्वाचित प्रतिनिधियों को क्रमशः प्रधान, प्रमुख और अध्यक्ष नाम दिया गया है। तालिका 4.2 उसी का नामकरण प्रस्तुत करती है।

**तालिका 4.2 : यूपी में पंचायतों के 3 स्तरों के लिए नामकरण**

| पंचायत का स्तर | प्रयुक्त नाम | विभिन्न पंचायत स्तर पर अध्यक्ष के लिए प्रयुक्त नाम |
|---|---|---|
| जिला पंचायत | जिला पंचायत | अध्यक्ष |
| मध्यवर्ती पंचायत | क्षेत्र पंचायत | प्रमुख |
| ग्राम पंचायत | ग्राम पंचायत | प्रधान |

स्रोत: पंचायती राज विभाग, सरकार उत्तर प्रदेश सरकार

विभिन्न स्तरों पर पंचायतों के गठन के लिए जनसंख्या मानदंड निम्नानुसार दर्शाया गया है:

**तालिका 4.3 : प्रत्येक स्तर पर पंचायतों की संख्या**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जिला पंचायत | 75 |
| 2. | क्षेत्र पंचायत | 821 |
| 3. | ग्राम पंचायत | 59,074 |

स्रोत: राज्य चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश सरकार

**तालिका 4.4: पंचायत के तीन स्तरों के लिए जनसंख्या मानदंड**

| क्रम संख्या | पंचायत का स्तर | विशेष रूप से पंचायत के गठन के लिए सामान्य जनसंख्या |
|---|---|---|
| 1. | जिला पंचायत | प्रत्येक सदस्य पचास हजार की आबादी पर निर्वाचित |
| 2. | क्षेत्र पंचायत | प्रत्येक सदस्य दो हजार की आबादी पर निर्वाचित |
| 3. | ग्राम पंचायत | निम्न जनसंख्या 0-500 के साथ ग्राम पंचायत : सदस्य निर्वाचित -7<br>501-1000: सदस्य निर्वाचित -9<br>1001-2000: सदस्य निर्वाचित -11<br>2001-3000: सदस्य निर्वाचित -13 3001 और उससे अधिक: सदस्य निर्वाचित -15 |

स्रोत: पंचायती राज विभाग, सरकार उत्तर प्रदेश सरकार

एक अध्ययन से पता चलता है कि लोगों ने मतदान प्रक्रिया को काफी हद तक ठीक माना है। साथ ही चुनाव में भागीदारी का स्तर उच्च स्तर रही है। हालांकि जहां तक राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा अपनाई गई नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता उत्तरदाताओं ने अपना संदेह भी उठाया है। मतदाताओं को प्रभावित करने और विरोध करने पूरी प्रक्रिया में शामिल अनुचित साधनों, राजनीतिकरण, अपराधीकरण की जाँच करना भी शामिल था। साथ ही, उत्तरदाताओं द्वारा विभिन्न एसईसी की स्वायत्तता पर सवाल भी उठाया है। यह कई उत्तरदाताओं द्वारा माना जाता है कि एसईसी सत्ता में सरकार से बहुत प्रभावित होती है। चुनाव के समग्र परिणाम में इसका एक निश्चित प्रभाव पड़ता है। सत्तारूढ़ दल द्वारा अनौपचारिक रूप से ग्रामीण पंचायत चुनाव में समर्थित उम्मीदवारों का पक्ष लिया जाता है।

उत्तरप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) पंचायत चुनावों के लिए पंचायत चुनाव के लिये 'आदर्श आचार संहिता' जारी करता है, जो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने पर लागू होता है। वर्ष 2021 के चुनावों में, SEC ने PAC की 350 कंपनियों, 1 लाख 50 हजार पुलिस बल के जवानों, 1 लाख 20 हजार होमगार्ड के जवानों को सुचारू चुनाव सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया। उत्तरप्रदेश में ग्राम पंचायत अध्यक्ष अर्थात प्रधान के चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, जबकि ब्लाक और जिला स्तर पर अध्यक्ष अप्रत्यक्ष हैं। सार्वजनिक रूप से क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य, इन दोनों स्तरों पर अपने संबंधित अध्यक्षों का चुनाव करते हैं। राजनीतिक दलों को आधिकारिक रूप से पंचायत चुनावों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रतिनिधियों द्वारा कुल मौद्रिक व्यय नीचे तालिका में दर्शाया गया है-

**तालिका 4.5: चुनाव प्रचार के दौरान मौद्रिक व्यय के लिए (वर्ष 2021 के आंकड़े)**

| क्रम संख्या | उम्मीदवार का पद | अभियान के दौरान मौद्रिक व्यय (रु) |
|---|---|---|
| 1. | सदस्य ग्राम पंचायत | उपलब्ध नहीं |
| 2. | प्रधान ग्राम पंचायत | 60,000 |
| 3. | सदस्य क्षेत्र पंचायत | 90,000 |
| 4. | प्रमुख | 100,000 |
| 5. | सदस्य जिला पंचायत | 210 ,000 |
| 6. | अध्यक्ष | 500,000 |

हालाँकि, चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा सूचित किए जाने पर, वास्तविक व्यय सभी मामलों में अधिक है और प्रधान पद के लिए चुनाव जीतने और जीतने के लिए लगभग 500,000 रुपये

खर्च किए गए (2021 का आंकड़ा), हालांकि बयान प्रस्तुत करने का प्रावधान है एसईसी को व्यय के व्यय के ऐसे विवरण की प्रामाणिकता को सत्यापित करने की आवश्यकता है।

## प्रतिनिधित्व

प्रतिनिधित्व आरक्षण उत्तरप्रदेश के पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार दिया जाता है, जिसके अनुसार महिला आरक्षण सभी श्रेणियों में एक तिहाई होना चाहिए और ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें 27% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पंचायत के तीनों स्तरों पर महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व 39% है जो एक अच्छा संकेत है । निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को उनके पुरुष परिवार के सदस्यों द्वारा, आमतौर पर पति या पुत्र द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। नेतृत्व की भूमिका निभाने वाली महिलाओं के खिलाफ सामाजिक वर्जनाएं भी इस परिवर्तन प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित कर रही हैं।

आरक्षित सीटों के रोटेशन का प्रावधान राज्य में लागू है। इसका नियंत्रण भी राज्य के पास है। आरक्षण नीति के संबंध में ज्यादातर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। सकारात्मक प्रतिक्रिया यह थी कि रोटेशन नीति समग्र विकास के लिए अच्छी है क्योंकि इससे विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों को विकास की जरूरतों को पूरा करने का अवसर मिलता है। [5]

## उत्तरप्रदेश राज्य की पंचायत की संरचना

उत्तरप्रदेश के पंचायती राज अधिनियम की धारा 6 और 18 के अनुसार क्षेत्र और जिला पंचायत अधिनियम, 1961 क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में निम्नलिखित रचना होगी:

क्षेत्र पंचायत की रचना-

1. प्रधान-अध्यक्ष

2. खण्ड में ग्राम-पंचायतों के सभी प्रधान

3. निर्वाचित सदस्य और प्रत्येक सदस्य दो हजार की आबादी पर चुने जाएंगे

4. राज्य के क्षेत्र में निवास करते हो जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से उस क्षेत्र में पड़ता हो।

5. विधान परिषद के सदस्य जो अपने ब्लाक में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हो।

**जिला-पंचायत की रचना**

1.अध्यक्ष, चेयरमैन

2. जिले के सभी क्षेत्र पंचायतों के प्रधान

3. निर्वाचित सदस्यों को प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है, प्रत्येक पचास हजार की आबादी पर होगी।

4. राज्य के क्षेत्र में निवास करते हो जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से उस क्षेत्र में पड़ता हो।

5. विधान परिषद के सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं।

**उत्तर प्रदेश में पंचायत के सभी 3 स्तरों पर 6 स्थायी समितियाँ बनाई गई हैं, जिनका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:**

## तालिका-4.6: स्थायी समितियां सभी तीनो स्तरों पर

| संख्या | स्थायी समितियों |
|---|---|
| 1. | नियोजन विकास समिति (योजना और विकास समिति) |
| 2. | शिक्षा समिति (शिक्षा समिति) |
| 3. | प्रसारिणी समिति (प्रशासनिक समिति) |
| 4. | निर्माण कार्य समिति (नागरिक कार्य समिति) |
| 5. | स्वास्थ्य विकास कल्याण समिति (स्वास्थ्य और कल्याण समिति) |
| 6. | जल प्रबन्धन समिति (जल प्रबंधन समिति) |

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तरप्रदेश में पंचायतों के कामकाज की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, इन समितियों के माध्यम से सभी कार्य करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, इस समितियों में विशेष आमंत्रित सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। कुल आमंत्रित सदस्यों की संख्या सात से अधिक नहीं हैं। वे विभिन्न सुझावों पर अपने सुझाव दे सकते हैं लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपने वोट नहीं डालेंगे।

73 वें संवैधानिक संशोधनों के आधार पर राज्य सही दिशा में आगे बढ़े हैं, लेकिन परिवर्तन की गति को बढ़ाने की आवश्यकता है और त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना का लोकतंत्रीकरण और सशक्तिकरण करने के लिए आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। कुछ विशिष्ट सुझाव निम्नानुसार हैं। पंचायती राज के चुनाव में चुनावी सूची वही होनी चाहिए जो लोकसभा या विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल की जाती है, सभी मतदाताओं को वोट डालने के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य होना चाहिए। साथ ही, ईवीएम का उपयोग किया जाना चाहिए। क्षमता-निर्माण को अधिक गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसे एक बार के

चक्कर के बजाय एक सतत प्रक्रिया होना चाहिए। एफएम रेडियो / रेडियो के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से क्षमता निर्माण की कोशिश की जा सकती है, एक ग्राम चैनल शुरू किया जाना चाहिए जहाँ मनोरंजन के साथ साथ अन्य पंचायतों से संबंधित जानकारी भी प्रसारित हो। ग्राम पंचायत के लोगो को उनके अधिकार, पंचायत प्रतिनिधियों के कर्तव्यों को नियमित रूप से प्रसारित करने की आवश्यकता है।

विशेष रूप से जिला परिषद में अध्यक्ष के पास पंचायत निधि के आवंटन और विकास के लिए परियोजनाओं की मंजूरी के लिए केंद्रीयकृत शक्ति नहीं होनी चाहिए। प्रभावी लोकतंत्रीकरण के लिए इसे मजबूत करने की आवश्यकता है। [6]

**उत्तर प्रदेश राज्य की जनजातियाँ (आदिवासीयों ) संक्षिप्त परिचय**

भारत का उत्तर प्रदेश राज्य एक प्राचीन संस्कृति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और धार्मिक आस्था का केंद्र रहा है । आजादी के बाद विशेष रूप से उत्तर प्रदेश देश में राजनीति की धुरी रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं। जनगणना के अनुसार मध्य भारत और बुंदेल खंड की कुल जनसंख्या 7699502 थी, उत्तर पश्चिमी प्रांतों की कुल जनसंख्या 31688217 थी, अवध प्रांतों की कुल जनसंख्या 11220232 थी और मध्य प्रांतों की कुल जनसंख्या 9251299 थी। वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या 1134273 है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 0.6 प्रतिशत है, जिसमें से 0.7 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और 0.2 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहती है। 2001-2011 के दौरान जनजातीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 93.6 प्रतिशत रही है। उत्तर प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या का कुल लिंगानुपात 944 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, जो राज्य के औसत 849 (जनगणना 2011) से अधिक है। समग्र साक्षरता दर 2001 की जनगणना में अनुसूचित

जनजातियों की संख्या 15.1 प्रतिशत से बढ़कर 2011 की जनगणना में 20.6 प्रतिशत हो गई है। सुधार के बावजूद, अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर राज्य के औसत 67.7 प्रतिशत से काफी कम है, जो कुल अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 55.7 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश में, गोंड (चार उप जातियों-धुरिया, नायक, ओजाहा, पटारी और राजगोंड सहित) सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है, जो उत्तर प्रदेश में कुल अनुसूचित जनजातियों की आबादी का 50.16 प्रतिशत है (जनगणना 2011) खरवार दूसरी प्रमुख जनजाति है, ( 14.16), इसके बाद थारू, शरिया, बैगा, पनिका, अगरिया, भुइन्या, भोटिया, बुक्सा, चेरो, जौनसारी, राजी, परहिया और पटारी। पटारी उत्तर प्रदेश में एक छोटा आदिवासी समुदाय है।

**तालिका 4.7 : 2002 में विशिष्ट जिले में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त समुदाय**

| क्रम संख्या | जाति/उप-जाति | विशिष्ट जिले |
|---|---|---|
| 1. | गोंड (धुरिया, नायक, ओझा, पथरी, राज गोंड) | बलिया, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज, जौनपुर |
| 2. | खरवार, खैरवारी | बलिया, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र |
| 3. | सहरिया | ललितपुर |
| 4. | परहिया | सोनभद्र |
| 5. | पणिका, पंखुड़ी | सोनभद्र और मिर्जापुर |
| 6. | अगरिया | सोनभद्र |
| 7. | पटारी | सोनभद्र |
| 8. | चेरो | सोनभद्र और वाराणसी |
| 9. | भुइंया, भुइयां | सोनभद्र |
| 10. | बैगा | सोनभद्र |

स्रोत - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002

**उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ और उनकी जनगणना, सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक स्थितियाँ:-**

**जौनसारी-** जौनसारी एक मध्य हिमालयी जनजाति है। जौनसारी खुद को महाभारत के पांडवों का अपना वंशज बताते हैं। जौनसरी तीन मुख्य वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमे राजपूत खास रूप में  और शीर्ष पर ब्राह्मण, मध्य वर्ग के रूप में रथे लुहार, बदाई, बाजगी कारीगर और निम्नतम वर्ग के रूप में हरिजन, डोम, कोली, कोल्टा, कोई, औज आदि जौनसारी बहुपति प्रथा के रूप में बहुपतित्व वाले समुदाय के रूप में जाने जाते हैं। यद्यपि अब उनकी जनसँख्या ठीक  हो रही है क्योंकि उन्होंने बहुविवाह प्रथा को  अपनाना  भी शुरू कर दिया है। जौनसारी समाज का पंचायतो के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में प्रमुख विकास हुआ है। (नास्वा 2001)

परंपरागत रूप से, इस क्षेत्र की प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से उत्पन्न घोर गरीबी के कारण, बंधुआ मजदूरी भी होती थी।  लेकिन बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम 1976 के लागू होने के बाद स्थिति में सुधार हुआ है। अपनी आजीविका को बनाए रखने के लिए इनमें से अधिकांश जौनसारियों ने कृषक मजदूरों का पेशा अपना लिया और अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि और पशुपालन पर भी निर्भर है।

2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जौनसारी की अधिकतम जनसंख्या ललितपुर जिले में रहती है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जौनसारी जनजाति की साक्षरता दर कुल 50.6 प्रतिशत है। इनमें पुरुष साक्षरता दर 60.4 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 39.8 प्रतिशत है जो औसत राज्य साक्षरता दर 67.7 प्रतिशत से कम है। जौनसारी समुदाय में कुल

2499 (61.17) लोग गैर-श्रमिक हैं, केवल 1221 (37.82%) लोग श्रमिक हैं, जिसमें कुल 745 (61.01%) लोग मुख्य श्रमिक हैं और अधिकतम (252) लोग खेतिहर मजदूर हैं।

**थारू जनजाति :-** थारू जनजाति स्वदेशी समुदाय है, जो नेपाल और भारत की सीमा पर तराई के मैदानों में रहती है। थारू ज्यादातर बिहार के चंपारण जिले में और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, गोंडा, बलरामपुर, गोरखपुर, बहराइच, उत्तर प्रदेश के जिले में रहते हैं (साहनी 2014) अपने मूल के बारे में थारू लोग राजपूत होने का दावा करते हैं। ये हिमालय के पश्चिमी तराई क्षेत्र से नेपाल तक फैले हुए हैं। थारू जनजाति राज्य की कुल आदिवासी आबादी का लगभग 9.2 प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार, थारू जनजाति में कुल साक्षरता दर 54.6 प्रतिशत है जहाँ पुरुष साक्षरता दर 66.3 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 42.5 है। थारू समुदाय में कुल श्रमिक 38851 (36.80%) हैं। अधिकतम थारू जनजातियो की आजीविका कृषक हैं।

**बुक्सा जनजाति :-** बुक्सा मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य और उत्तर प्रदेश के तराई और भाबर क्षेत्रों में निवास करती है। उनके अधिकतम निवास स्थान में उत्तर प्रदेश के जिले में बिजनौर और लखीमपुर खीरी शामिल हैं। बुक्स प्राचीन काल से तराई के उपजाऊ इलाकों में रह रहे हैं और राजस्थान के पूर्वज राजा जगतदेव के पुत्रों से संबंध होने का दावा करते हैं। राजा जगतदेव और उनके अनुयायी मुगलों से हारने के बाद उनसे शरण लेने के लिए तराई चले गए (अमीर 1971)

वर्ष 1981 में बुक्सा को राज्य का आदिम आदिवासी समूह घोषित किया गया है। बुक्सा जनजाति में कुल साक्षरता दर 50.6 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 60.9 है और महिला साक्षरता दर 39.1 प्रतिशत है। कुल 1767 (37.51%) लोग श्रमिक हैं। बुक्सा

जनजाति। 2011 की जनगणना के अनुसार बुक्सास में मुख्य श्रमिक 876 (18.59%) हैं और कुल गैर श्रमिक 2943 (62.48%) हैं।

**राजी जनजाति-** राजी, एक खानाबदोश समुदाय, मानवशास्त्रीय रूप से तिब्बती बर्मन परिवार से संबंधित है। राजी उत्तर प्रदेश की सबसे पिछड़ी, सबसे छोटी जनजाति है। वे खुद को कुमाऊं क्षेत्र का वंशज मानते हैं। राजी को राजा किरात के वंशज भी माना जाता है जिन्होंने प्रागैतिहासिक काल में इस क्षेत्र पर शासन किया था। वे खुद को कई बहिर्विवाही पितृवंशों में विभाजित करते हैं जैसे - पाल, चंद, ब्योम, कुंवर, आदि।

राजी की पारंपरिक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जंगल के आसपास बनी थी और उनकी आजीविका का तरीका जंगली खाद्य पौधों, जड़ों, फलों, कंदों, शिकार और मछली पकड़ने के संग्रह पर आधारित था जो लकड़ी के जहाजों के निर्माण के पूरक थे (बिष्ट 2006)

राजी को 1975 में राज्य में उत्तरप्रदेश का एक आदिम आदिवासी समूह घोषित किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में राजी की कुल जनसंख्या केवल 1295 है। इस समुदाय में कुल साक्षरता दर 35.6 प्रतिशत है, जहाँ कुल पुरुष साक्षरता दर 42.1 और महिला साक्षरता दर 27.6 प्रतिशत है। राजी समुदाय में 324 (41.23%) लोग मुख्य कार्यकर्ता हैं और शेष 761 (58.78%) गैर-श्रमिक हैं।

**भोटिया जनजाति-** भोटिया जनजाति एक मंगोलोइड जातीय समुदाय है। भोटिया के पूर्वज तिब्बत से उत्तर पूर्वी नेपाल, सिक्किम, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और नेपाल के अन्य हिस्सों, भारत, भूटान चले गए। पूरे समुदाय में दो मुख्य सामाजिक वर्ग होते हैं यानी राजपूत (उच्च जाति) और डुमरास (हरिजन या सेवा वर्ग)। हालाँकि उनके कई सामाजिक समूह हैं जिन्हें उनके आवास के माध्यम से पहचाना जा सकता है। उनके पारंपरिक व्यवसायों और

आजीविका के साधनों के आधार पर, संपूर्ण जनजातियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है जो क्रमश  व्यापारी सह पशुचारक, कृषक चरवाहे और कृषक (साहनी: 2014)

2011 की जनगणना के अनुसार भोटिया समुदाय की कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश में केवल 5196 है। भोटिया समुदाय में कुल साक्षरता दर 58.6 प्रतिशत है, जहां पुरुष साक्षरता दर 66.8 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 49.4 प्रतिशत है। इस समुदाय में कुल 1616 (81.77%) श्रमिक हैं, जिनमें से मुख्य कार्यकर्ता 1068 (20.55%)भोटिया समुदाय के हैं। अधिकतम भोटिया अन्य कार्यों में लगे हुए हैं।

**सहरिया जनजाति -** सहरिया शब्द की उत्पत्ति पर्सियन शब्द 'सेह' से हुई है जिसका अर्थ जंगल होता है। मुस्लिम शासकों ने सहरिया को जंगल का निवासी माना। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सहरिया हमेशा से जंगलों के बीच रहने वाला वनवासी रहा है।  अपनी जंगल पर निर्भरता के कारण वह  साहसी भी होते  है। सहरिया खुद को रामायण से साबरी के वंशज के रूप में दावा करते हैं इनमे  कुछ अपने को ब्रम्हा से उत्पन्न मानते है।

सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य में निवास करती है। उत्तर प्रदेश में सहरिया को 2002 में ललितपुर जिले में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। सहरिया राज्य की कुल सहेदुल जनजाति की आबादी का 6.22 प्रतिशत है। सहरिया में साक्षरता दर बहुत कम है, 2011 की जनगणना के अनुसार 30.4 प्रतिशत, महिला दर 21.7 और पुरुषों की 38.6 प्रतिशत है। इस समुदाय में कुल 63696 (44.87%) कार्यकर्ता हैं। उनमें से ज्यादातर खेतिहर मजदूर हैं।

**बैगा जनजाति -** एक आदिम द्रविड़ जनजाति जिसका घर उत्तर-पूर्व में बिहार से देश के दूसरे हिस्सों में स्थानांतरित हो गया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बैगा के पर्यायवाची के रूप

में कभी-कभी "भूमि के भगवान" शब्द का प्रयोग किया जाता है। वे अपने जादू और ड्रग्स के लिए भी जाने जाते हैं। बैगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में भी पाया जाता है। बैगा समुदाय को 2002 में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जनजाति के रूप में घोषित किया गया है। बैगा जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल एसटी आबादी का केवल 2.6 प्रतिशत है। गरीबी के कारण साक्षरता का स्तर बहुत कम है, यह 2011 की जनगणना से स्पष्ट है, जहां उनके बीच साक्षरता का स्तर सिर्फ 28.5 प्रतिशत है, महिला साक्षरता केवल 21.7 प्रतिशत है जबकि पुरुष साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 37.4 प्रतिशत है। कुल जनसंख्या 13537(45.11%) श्रमिक हैं, जिनमें से 6494 (47.97%) मुख्य श्रमिक हैं। बैगा जनजाति वन क्षेत्रों में स्थानांतरित खेती का अभ्यास करती है। वे अपनी आजीविका के लिये जंगल की जलाऊ लकड़ी, लाख और अन्य वन उपज भी बेचते तथा  एकत्र करते हैं। (हंसदा 2010)

**तालिका-4.8  उत्तर प्रदेश में सभी अनुसूचित जनजातियों (कुल, पुरुष, महिला) की रोजगार स्थिति)**

| क्रम संख्या | सभी जनजातियाँ | कुल जनसंख्या | कुल श्रमिक | मुख्य श्रमिक | सीमांत श्रमिक | गैर-श्रमिक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | कुल जनजातियाँ | 1134273 | 419652 | 212477 | 207175 | 714621 |
| 2- | भोटिया | 5196 | 1616 | 1068 | 547 | 3581 |
| 3- | बुक्सा | 4710 | 1767 | 876 | 891 | 2943 |
| 4- | जौनसारी | 3720 | 1221 | 745 | 476 | 2499 |
| 5- | राजी | 1295 | 534 | 324 | 210 | 761 |
| 6- | थारू | 105291 | 38851 | 25335 | 13516 | 66440 |
| 7- | गौंड | 569035 | 195299 | 93193 | 102106 | 373736 |

| क्रम संख्या | सभी जनजातियाँ | कुल जनसंख्या | कुल श्रमिक | मुख्य श्रमिक | सीमांत श्रमिक | गैर-श्रमिक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8- | खरवार | 160676 | 60164 | 20876 | 30288 | 100512 |
| 9- | सहरिया | 70634 | 63696 | 20234 | 11462 | 38938 |
| 10- | पहरिया | 901 | 395 | 213 | 182 | 506 |
| 11- | बैगा | 30006 | 13537 | 6494 | 7043 | 16469 |
| 12- | पनिका | 24862 | 10084 | 4650 | 5434 | 14778 |
| 13- | अगरिया | 17376 | 8035 | 3217 | 4818 | 9341 |
| 14- | पटारी | 132 | 72 | 12 | 60 | 60 |
| 15- | चेरो | 4227 | 18475 | 6605 | 11870 | 23752 |
| 16- | भुइया | 15599 | 6619 | 2201 | 4418 | 8980 |

स्रोत-ए परिकलित, राज्य प्राथमिक जनगणना अनुसूचित जनजाति

**खरवार जनजाति :-** खारवार, खेरवार झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की एक द्रविड़ खेती और भूमि जोतने वाली जनजाति है। कुछ खरवार अपने को मूल रूप से रोहतास जिले से सम्बंधित करते हैं। जिसे सूर्यवंसी परिवार के हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व का चुना हुआ निवास स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है। इस प्राचीन घर से वे वंश का भी दावा करते हैं, खुद को सुरजाबंसिस कहते हैं और राजपूतों को अलग करने वाले जनेओ या जाति के धागे पहनते हैं। खरवार में छह अंतर्विवाही समूह हैं जो सूरजबंसी, दौलत बंदी परबंद, खारिया, भोगती और मौझिया हैं। (हंसदा 2010)

उत्तर प्रदेश के बलिया, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिले में खरवार समुदाय को जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। खरवार दूसरी आबादी वाली जनजाति है, जो राज्य की कुल एसटी आबादी का 14.16 प्रतिशत है। इस समुदाय की कुल साक्षरता दर 58.5 प्रतिशत

है, जिसमें से 70.3 पुरुष और 46.0 प्रतिशत महिलाएं हैं। इस समुदाय में कुल 37.44 प्रतिशत श्रमिक हैं, जहां 12.99 मुख्य श्रमिक हैं, जिनमें से अधिकांश आबादी खेतिहर मजदूर है।

**पहडीया जनजाति-** बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में पहडीया जनजाति के लोग रहते हैं और उन्हें बैगा के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश मानवशास्त्री फोर्ब्स के अनुसार ये पलामू के सबसे पुराने निवासी हैं, झारखंड प्रसाद (1988) में कहा गया है कि पहडीया जनजाति महान हिंदू महाकाव्य के वंशज हैं। महाभारत इसलिए उन्हें पांडवबंसी के रूप में जाना जाता है। पहडीया जनजाति का अर्थ गोंडी भाषा में जंगल को जलाने वाला कहा जाता है, इस तथ्य के कारण कि वे कृषि को काटने और जलाने का अभ्यास करते हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पहडीया जनजाति की आबादी केवल 901 है, इस समुदाय को 2002 में सोनभद्र जिले में सहेडल जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी। पहडीया जनजाति में कुल 42.7 हैं जहां पुरुष साक्षरता दर 61.9 है और महिला साक्षरता दर 12.31 प्रतिशत है।

**चेरो जनजाति-** शब्द चेरो संभवतः चेरा से लिया गया है, एक सांप वे अपनी उत्पत्ति सागा च्यवन का पता लगाते हैं, जबकि कुछ और लोगो का मानना है कि चेरो एक पेड़ भर की एक शाखा है जो कोल आदिवासी से जुड़ा हुआ है। चेरो को दो उप जातियों में बांटा गया है, बड़ा हजार और तेरा हजार या बीरबंधी । 2002 में उत्तर प्रदेश राज्य के दो जिलों सोनभद्र और वाराणसी में चेरो समुदाय को जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, राज्य की कुल एसटी आबादी 3.7 प्रतिशत के साथ 42227 थी। इस समुदाय में साक्षरता प्रतिशत 40.9 प्रतिशत है, जिसमें 51.7 पुरुष और 42.9 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, उनकी कुल आबादी का हिस्सा 18475

(43.75%) है, जिसमें से 6605 (35.75%) मुख्य श्रमिक हैं, जिनमें से 3854 (20.86%) कृषि मजदूर हैं।

**तालिका 4.9: उत्तर प्रदेश में विभिन्न कार्यों के विवरण के साथ जनजातिवार सूची**

| क्रम संख्या | सभी जनजातीयां | कुल आबादी | कुल खेती करने वाले | कृषि मजदूर | गृहस्थी उद्योग | अन्य काम करने वाले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | कुल जनजातियाँ | 113423 | 57036 | 84760 | 7415 | 63266 |
| 2- | भोटिया | 5196 | 91 | 121 | 40 | 816 |
| 3- | बुक्सा | 4710 | 101 | 421 | 19 | 270 |
| 4- | जौनसारी | 3720 | 209 | 252 | 26 | 258 |
| 5- | राजी | 1295 | 4 | 62 | 17 | 241 |
| 6- | थारू | 105291 | 12039 | 7567 | 770 | 4959 |
| 7- | गौंड | 569035 | 23244 | 35279 | 3621 | 31049 |
| 8- | खरवार | 160676 | 7348 | 13352 | 977 | 8199 |
| 9- | सहरिया | 70634 | 7061 | 10276 | 106 | 2791 |
| 10- | पहरिया | 901 | 55 | 154 | 0 | 4 |
| 11- | बैंगा | 30006 | 1278 | 4081 | 72 | 1063 |
| 12- | पनिका | 24862 | 1099 | 2261 | 63 | 1227 |
| 13- | अगरिया | 17376 | 531 | 2092 | 64 | 530 |
| 14- | पतारी | 132 | 1 | 9 | 0 | 2 |
| 15- | चेरो | 4227 | 963 | 3854 | 171 | 1179 |
| 16- | भुइया | 15599 | 293 | 1399 | 22 | 401 |

स्रोत-ए परिकलित, ए-11 राज्य प्राथमिक जनगणना का सार व्यक्तिगत अनुसूचित जनजातियों के लिए

**पनिका जनजाति-** पनिका की उत्पत्ति के बारे में बहुत कम जानकारी है। हालांकि कुछ सूत्रों का कहना है कि पनिका द्रविड़ मूल के हैं, अन्य उन्हें केवल अवर्गीकृत के रूप में संदर्भित करते हैं। ये समुदाय ऐतिहासिक गोंड लोगों के बीच रहते हैं। पनिका जनजाति दो व्यापक समूहों में विभाजित है कबीरपंथी (सबसे बड़ा समूह) और शक कबीरपंथी संत कबीर की शिक्षाओं का पालन करते हैं। वे शराब, मांस और अन्य अशुद्ध प्रथाओं से बचते हैं। पणिका कभी जनजातियों अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे (कपूर 2005) पनिका जनजाति राज्य की कुल जनजातीय आबादी का 2.19 प्रतिशत है। पंनिका को राज्य के सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस समुदाय में साक्षरता प्रतिशत 55.8 प्रतिशत है, जिसमें 67.8 प्रतिशत पुरुष और 42.7 प्रतिशत महिलाएं 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। इस समुदाय के लोग 10084 (40.55%) कामगार हैं, जिनमें से 1227( 19.36%) अन्य कार्यों में लगे हुए हैं।

**भुइन्या जनजाति :-** भुइन्या जनजाति छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, असम और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में व्यापक रूप से पाई जाती है। भुइया संस्कृत शब्द भूमि से लिया गया है जिसका अर्थ है भूमि या पृथ्वी। इस जनजाति को भुइयां, भुइया और भुइया के नाम से जाना जाता है। जनजाति जनजातियों के मुंडा समूह से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में भुइया समुदाय को जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया (जनजाति अधिनियम 2002) 2011 की जनगणना के अनुसार भुइन्या जनजाति राज्य की कुल एसटी आबादी का केवल 1.37 प्रतिशत है। इस समुदाय की कुल साक्षरता दर 38.7 प्रतिशत है, जिसमें से 50.2 पुरुष और 26.7 महिलाएं हैं। इस समुदाय में कुल 6619 (42.43%) लोग श्रमिक हैं, जहां 2201 (14.10%) मुख्य श्रमिक हैं, अधिकतम कृषि मजदूर हैं, अपनी आजीविका को बनाए रखने

के लिए उनमें से अधिकांश शिकार, पशुपालन, मत्स्य पालन और वन उपज पर निर्भर हैं।(मोहंती 2010)

**अगरिया जनजाति :-** अगरिया जनजाति को भारत में सबसे महत्वपूर्ण लोहा-गलाने वाली जनजातियों में से एक माना जाता था, जो लोग अपने शिल्प और अपनी सामग्री बनाते थे । अगरिया कई कुलों में विभाजित हैं। कबीले बहिर्विवाही समूह हैं जो आम तौर पर कुलदेवतावादी होते हैं, जिनका नाम पौधों, जानवरों, पक्षियों आदि के नाम पर रखा जाता है। यह माना जाता है कि अगरिया गोंड की उपजाति है। अगरिया उत्तर प्रदेश का छोटा जातीय समूह है, जिसकी जनसंख्या 2011 में 17376 थी। अगरिया को सोनभद्र जिले, उत्तर प्रदेश राज्य (अधिनियम 2002) में जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। अगरिया राज्य के कुल अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या का 1.53 प्रतिशत है। अगरिया में साक्षरता दर बहुत कम 24.6 है जिसमें से पुरुष 33.4 प्रतिशत और महिलाएं 15.1 प्रतिशत हैं, इस समुदाय में अधिकांश महिलाएं निरक्षर हैं। अगरिया में केवल 3217(18.51%) लोग मुख्य श्रमिक हैं जिनमें अधिकतम खेतिहर मजदूर है। (मेहता 2004)

**तालिका- 4.10: उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर**

| क्रम संख्या | सभी जनजातियाँ | कुल जनसंख्या | कुल साक्षरता | साक्षरता पुरुष | साक्षरता महिला |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- | कुल जनजातियाँ | 1134273 | 55.7 | 67.1 | 43.7 |
| 2- | भोटिया | 5196 | 58.6 | 66.8 | 49.4 |
| 3- | बुक्शा | 4710 | 50.6 | 60.4 | 39.1 |
| 4- | जौनसारी | 3720 | 50.6 | 60.4 | 39.8 |
| 5- | राजी | 1295 | 35.6 | 42.1 | 27.6 |
| 6- | थारू | 105291 | 54.6 | 66.3 | 42.5 |
| 7- | गोंड | 569035 | 61.2 | 73.5 | 48.4 |
| 8- | खरवार | 160676 | 58.4 | 70.3 | 46.19 |
| 9- | सहरिया | 70634 | 30.4 | 38.6 | 21.7 |
| 10- | पहरिया | 901 | 47.2 | 61.9 | 32.5 |
| 11- | बैगा | 30006 | 28.5 | 37.4 | 18.9 |
| 12- | पनिका | 24862 | 55.8 | 67.8 | 47.7 |
| 13- | अगरिया | 17376 | 24.6 | 33.4 | 15.14 |
| 14- | पटारी | 132 | 56.5 | 71.2 | 42.9 |
| 15- | चेरो | 4227 | 40.9 | 51.7 | 29.3 |
| 16- | भुइया | 15599 | 38.7 | 50.2 | 26.7 |

स्रोत-ए परिकलित, ए-11 राज्य प्राथमिक जनगणना व्यक्तिगत अनुसूचित जनजातियों के लिए सार

**पटारी जनजाति -** पटारी जनजाति गोंड जनजाति की उप जाति है। वे गोंड साम्राज्य में अनुष्ठान विशेषज्ञ और सलाहकार हैं। विलियम क्रुक का दावा है कि पटारी वास्तव में मझवार मूल की हैं। पटारी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले और मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वे आदिवासी पुजारी हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य में 132 व्यक्ति

जनजाति के रूप में पहचाने गए हैं। कुल 61 पुरुष-महिला साक्षर हैं जिनमें से 87 पुरुष और 24 महिलाएं साक्षर हैं।(चिब 1977)

**गोंड जनजाति-**गोंड मध्य भारत के आदिवासी हैं। गोंड जनजातियों ने मध्य भारत में एक विशाल क्षेत्र में निवास किया है, अपने इतिहास की कई शताब्दियों के दौरान उन्होंने कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था जो बाद में उनका आदिवासी निवास बन गया। राजनीतिक रूप से गोंडवाना के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र गोंड राज्य 17 वीं से 19 वीं शताब्दी के मध्य तक सबसे मजबूत राजनीतिक शक्ति थे। गोंड को आर्यों के आक्रमण से पहले भारत में दुनिया की सबसे पुरानी जनजाति और उनके निवास स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। गोंड खुद को रावण का वंशज बताते हैं। गोंड देश में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है (जनगणना 2011) गोंड और उनकी चार उपजातियाँ- धुरिया, नायक, ओझा, पटारी और राजगोंड को पूर्वी उत्तर प्रदेश के तेरह जिलों में जनजातियों के रूप में मान्यता प्राप्त है। गोंड 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी का 50.16 प्रतिशत है। गोंड समुदाय में साक्षरता प्रतिशत 61.2 प्रतिशत है, जिसमें 73.5 पुरुष और 48.4 प्रतिशत महिलाएं हैं। (मेहता 1984)

उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ अभाव की स्थिति में जी रही हैं। उनकी आर्थिक स्थिति और उनका जीवन स्तर बहुत निम्न है। उनके पास न जमीन है, न शिक्षा और न ही एसेट्स, यही मुख्य कठिनाइयाँ हैं। उन्हें समाज में सच मायने में पिछड़ा कहा जाता है। राज्य में उनकी दोहरी स्थिति है, क्योंकि, अधिनियम 2002 ने कई समस्याओं को उठाया है, जिनका सामना जनजातियाँ कर रही हैं, कुछ जनजातियों को कुछ जिलों में अनुसूचित जाति के रूप में और कुछ अन्य में अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया गया है और उस हद तक एक ही

समुदाय को उत्तर प्रदेश में दोहरी स्थिति प्राप्त है। जनजाति समुदायों को भी राज्य की सेवा में आरक्षण के लाभों से वंचित किया जा रहा है।

**सोनभद्र एक परिचय**

राज्य- उत्तर प्रदेश

जिला- सोनभद्र

जिला मुख्यालय- रॉबर्ट्सगंज

जनसंख्या (2011)- 1862559

विकास दर- 0.27

लिंग अनुपात- 918

साक्षरता- 64.03

क्षेत्रफल (वर्ग किमी)- 6788

घनत्व (/ वर्ग किमी)- 274

तहसील- दूधी, घोरावल, रॉबर्ट्सगंज

लोकसभा क्षेत्र- रॉबर्ट्सगंज

विधानसभा क्षेत्र- ओबरा, दुद्धी, घोरावल, रॉबर्ट्सगंज

भाषाएं- हिंदी, उर्दू

नदियां- सोन, रिहंड, कन्हर

सोनभद्र भारत के उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। सोनभद्र भारत का एकमात्र जिला है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ झारखंड और बिहार के चार राज्यों से है। जिले में 6788 वर्ग किमी का क्षेत्रफल है और इसकी आबादी 1,862,559 (2011 की जनगणना) है, जिसमें प्रति वर्ग वर्ग 270 व्यक्तियों की जनसंख्या घनत्व है। सोनभद्र जनपद उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर मण्डल में 23°52' उत्तरी अक्षांश से 25°32' उत्तरी अक्षांश तथा 82°72' पूर्वी देशान्तर से 83°33 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसकी सीमायें पांच राज्यों ( उ.प्र., मध्य प्रदेश, छत्तीशगढ़, बिहार एवं झारखण्ड ) के आठ जनपदों ( मिर्जापुर, चंदौली, रोहतास, पलामू, गढ़वा, रीवा, सीधी तथा सरगुजा) का संगम स्थल है। इसके पूर्व में बिहार के रोहतास, झारखण्ड के गढवा एवं पलामू, दक्षिण में छत्तीसगढ़ के सरगुजा मध्य प्रदेश के सीधी, पश्चिम में मध्यप्रदेश के रीवा, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तथा उत्तर में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर चन्दौली जनपद स्थित है। जनपद मुख्यालय रावर्टसगंज मिर्जापुर से लगभग 70 कि.मी. दक्षिण में तथा वाराणसी से 85 कि.मी. की दूरी पर वाराणसी शक्तिनगर राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े जिले सोनभद्र है।[7]

**प्रशासनिक सरंचना**

विंध्याचल मण्डल में तीन जिले अर्थात मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही शामिल हैं, और इसका नेतृत्व मंडलायुक्त विंध्याचल करते हैं। आयुक्त, मण्डल में स्थानीय सरकारी संस्थानों के प्रमुख हैं, वह मण्डल में बुनियादी ढांचे के विकास के प्रभारी हैं, और विभाजन में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

सोनभद्र जिला प्रशासन का नेतृत्व सोनभद्र के जिलाधिकारी करते हैं। जिलाधिकारी को मुख्य विकास अधिकारी और अपर जिलाधिकारी द्वारा सहायता दी जाती है।

जिला 04 तहसील (रॉबर्ट्सगंज, घोरावल और दुद्धी ,ओबरा) और 08 विकास खण्ड (रॉबर्ट्सगंज, घोरावल, चतरा, नगवां, चोपन, बभनी, मयुरपुर और दुद्धी) में बांटा गया है। प्रत्येक तहसील का नेतृत्व एक उप जिलाधिकारी के द्वारा होता है।

सोनभद्र जिला पुलिस की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक करते हैं । सोनभद्र पुलिस में 03 सर्किल कार्यालय और 16 पुलिस स्टेशन शामिल हैं।

**मानचित्र-1**

ऊपर दिया हुआ सोनभद्र जिले का नक्शा (मानचित्र) राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, रेलवे, नदी, जिला मुख्यालय, जिला सीमा, प्रमुख शहरों और गांवों को दर्शाता है|

## सोनभद्र जिले की अनुसूचित जनजाति की आबादी

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर शासन स्तर पर तैयारी  चल रही है। जिले में भी इसे लेकर प्रयास  जारी है। जिला प्रशासन ने अनुसूचित जनजाति की आबादी का सत्यापन फिर से कराना शुरू कर दिया है।  त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पूर्व में ही सीटों के परिसीमन और आबादी का निर्धारण किया जा चुका है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जिले में ग्रामीण क्षेत्र की कुल आबादी 15,60,299 लाख है। इसमें अनुसूचित जनजाति का भी ब्लॉकवार आबादी का निर्धारण किया जा चुका है।

## वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर आबादी

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जिले में अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी करीब तीन लाख 65 हजार 601 आंकी गई है। इसमें नगवां ब्लॉक में 27,599, चतरा में 6902, राबर्ट्सगंज में 13898, घोरावल में 11562, चोपन में 73175, म्योरपुर में 83203, दुद्धी में 62082, बभनी में 52093, करमा में 2648 और कोन ब्लॉक की अनुसूचित जनजाति की आबादी 32439 है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की कुल आबादी 1560299 आंकी गई है। इसमें अनुसूचित जाति 383705, अन्य पिछड़ा वर्ग 630096 और सामान्य वर्ग की आबादी 180897 है। पंचायत राज निदेशालय में जिला पंचायत राज अधिकारियों के हुए प्रशिक्षण में आबादी को आधार मानकर और वर्ष 1995 से अब तक आरक्षण को आधार मानकर चुनाव में सीटों का आरक्षण दी गई है।

## सोनभद्र जिले में पंचायत क्षेत्र सदस्यों की आरक्षण सूची में बदलाव

जिले के 629 ग्राम पंचायत, 7778 ग्राम पंचायत सदस्य, 781 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 10 ब्लाक प्रमुख और 31 जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव होना है। इसके लिए बुधवार की शाम को आरक्षण सूची जारी की गई थी। सूची जारी के होने के बाद ही कई जगह से आपत्ती आनी शुरू हो गई है। कोई अपने ग्राम पंचायत का आरक्षण बदलवाना चाहता है तो कोई क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का आरक्षण बदलने के लिए आपत्तियां दाखिल कर सकता है।

पांच ब्लॉकों के क्षेत्र पंचायत सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र की आरक्षण सूची

ब्लॉक का नाम - घोरावल

अनुसूचित जाति महिला- सतौहा, खुटहां, बिसरेखी, पुरना, इमलीपोखर, कन्हारी प्रथम, परसौना प्रथम, परसौना द्वितीय, बर, मिझुन-देवगढ़, कोहरथा, गुरूवल, बेलवनिया, गुरेठ-अहरौरा, उचका।

अनुसूचित जाति- तिलौलीकला प्रथम, तिलौलीकला द्वितीय, केवली मय देवली, कनेटी, नेवारी, भैंसवार प्रथम, जुड़िया, नौगवां नंदलाल, धरसड़ा, दीवा, रेही, मुक्खा, मूर्तियां द्वितीय, मूर्तियां प्रथम, तेंदुहार, बरदिया, सतद्वारी, शिवद्वार, डोरिहार, मझिगवां चौहान, वीरकला, डोमखरी, बकौली, कुसुम्हा, मोराही, सरवट, जमगांव, कोलकाड़ी, सहूआर।

अनुसूचित जनजाति महिला- जुड़ौली कोलानी, रघुनाथपुर

अनुसूचित जनजाति- कड़िया, कन्हारी द्वितीय, सिलहटा, दुगौलिया।

पिछड़ा महिला- खरुआंव, पेढ़ प्रथम, पेढ़ तृतीय, भैंसवार तृतीय, जमगाई, खजुरौल, बेलाटांड़, ढुठेर, बिछिया

पिछड़ा वर्ग क्षेत्र- मरसड़ा, केवटा द्वितीय, मधका, तेंदुआ, भरकना, खड़देऊर, पड़वनिया, लोहांड़ी, बरौली, डीबर, सोतिल, मुडिलाडीह, मसी आदिनाथ, सिद्धी, मुसरधारा, मराची, खैरा, दुरावल खुर्द

महिला के लिए आरक्षित क्षेत्र- करींबरांव, पिडरिया, विसुंधरी, भैंसवार द्वितीय, केवटा प्रथम, सिरसाई, घुवास, महांव

अनारक्षित- पेढ़ द्वितीय, देवरीकाठ, भरौली, भवना, हिनौती, खगिया, गड़मा, तेंदुई, बालडीह, कूसीनिस्फ, ओड़हथा, शाहगंज, जमगाई ब, डोहरी, अमउड़, डाभा, ईनम

ब्लॉक का नाम- कोन

अनुसूचित जाति - कचनरवा-3,कचनरवा,4,,करईल-2,किशुनपुरवा, रोरवा, खरौधी-1,खेमपुर-2 ,महिउद्दीनपुर, रामगढ़-1

अनुसूचित महिला- बागेसोती-2,मिटिहिनिया,बरवाडीह,रामगढ़-2,नौडिहा।

अनुसूचित जनजाति- पिपरखाड-2,पिपरखाड-3,कुडवा-2,कचनरवा-5,कचनरवा-7 कर ईल-1, निगाई-1निगाई-3, पिण्डारी,ब्रहमोरी।

अनुसुचित जनजाति महिला- गिधिया-2,कुडवा-3, निगाई-2,बोधाडिह, करहिया, चननी।

पिछडा जाति- पिपरखाड-1,कचनरवा-6, बागेसोती-3,खरौधी-2,मिश्री, बरवाखाडं, मझगवां, खेतकटवा, खेमपुर-1

पिछडा जाति महिला- नकतवार, देवाटन, कोन-1,कोन-2, चकरिया,

महिला - चांचीकला, चेरवाडीह

अनारक्षित - गिधिया-1,कुडवा-1, कचनरवा-1 कचनरवा-2,बागेसोती-1,बागेसोती-4,बागेसोती-5

ब्लॉक का नाम - नगवां

अनुसूचित जनजाति महिला-कजियारी, सूअरसोत खुर्द, बाराडाड़, सरईगाढ़ तृतीय, मऊकला।

अनुसूचित जाति:- तेनुआ, पड़री, रायपुर, गोटीबांध, सिकरवार, नगांव, देवरी मय देवरा, बिजवार, पनीकप कला।

अनुसूचित महिला:- कोदई, ढोसरा, मड़पा।

अनुसूचित जाति:- डोरिया, नंदन, दुबेपुर, कम्हरिया, पटवध, ददरेव।

पिछड़ी महिला :- आमडीह, सरईगाढ द्वितीय, बनबहुआर,सोहदवल,

पिछड़ी जाति :- खलियारी, मकरीबारी, मरकुड़ी, रामपुर, केवटम, मझुई, खोड़ैला।

अनारक्षित:- सरईगाढ प्रथम, वैनी,चेरूई, बैजनाथ,पनौरा,बाकी

ब्लॉक का नाम- चतरा ब्लॉक

अनारक्षित-ढोढरी, बेलगाई, बनौली, कसारी, पिथौरी, पकरहट, पुरना कलां, पन्नूगंज, पटना प्रथम, रामगढ़ प्रथम, रामगढ़ द्वितीय, संडी, चपईल, अईलकर।

महिला-लेडुआं, पड़री खुर्द, सिलथम द्वितीय, बिरधी, कोरियांव, करवनियां, करौंदिया।

पिछड़ी-ऐलाई, करमांव, किचार, संड़ा, सरई, सौली, नरोखर, नौडीहा, गुल्लीडाढ़।

पिछड़ी महिला-खडुई, ऊंची खुर्द, बरईल, बगही, नेवारी।

अनुसूचित जाति- धर्मदासपुर प्रथम, बभनियांव, बबुरी, कुसुम्हा, कूरां कलां, सिलथम प्रथम, भुसौलियां, पड़री कलां, सेहूआं, चरकोनवां, जगदीशपुर, गुरौटी खुर्द।

अनुसूचित महिला- धर्मदासपुर द्वितीय, बबुरी, गिरियां, भीखमपुर, सोढ़ा द्वितीय।

अनुसूचित जनजाति-पटना द्वितीय, सोढ़ा प्रथम,

अनुसूचित जनजाति महिला-डोमरिया

ब्लॉक का नाम- दुद्धी ब्लॉक

अनारक्षित- बूटबेडवा प्रथम, मुड़ीसेमर प्रथम, हरनाकछार प्रथम,घिवही, बीडर द्वितीय, कटौन्धी द्वितीय, बघाडू प्रथम, बघाडू तृतीय, निमियाडीह, गोइठा।

अनुसूचित- धरतीडोलवा, धूमा द्वितीय, फुलवार द्वितीय, महुली प्रथम, अमवार द्वितीय, धनौरा प्रथम, धनौरा द्वितीय, बैरखड़।

अनुसूचित महिला- रजखड़ प्रथम, मनबसा, जाताजुआ, बरखोरहा।

अनुसूचित जनजाति- मुड़ीसेमर द्वितीय, हरनाकछार द्वितीय, केवाल द्वितीय, सुखड़ा, जोरुखाड़ प्रथम, फुलवार प्रथम, महुली द्वितीय, पतरिहा, पोलवा प्रथम, मल्देवा, दुम्हान प्रथम,

दुम्हान द्वितीय, बीडर प्रथम, तुर्रीडीह, रन्नू द्वितीय, डूमरडीहा प्रथम, खजूरी, पोलवा द्वितीय, बोम, हरपुरा।

अनसूचित जनजाति महिला- मझौली प्रथम, मझौली द्वितीय, सरडीहा, रन्नू प्रथम, बघाडू द्वितीय, नगवां प्रथम, नगवां द्वितीय,

डूमरडीहा द्वितीय, पिपरडीह, पकरी, धोरपा।

पिछड़ी-केवाल प्रथम, धूमा प्रथम,जोरुखाड़ द्वितीय, डूमरा, हथवानी, बीडर तृतीय, झारोकला, झारोखुर्द प्रथम, झारोखुर्द द्वितीय, मूरता, महुअरिया, अमवार प्रथम, टेढ़ा,

पिछड़ी महिला-सलैयाडीह प्रथम, सलैयाडीह, डालापीपर, गडदरवा, रजखड़ द्वितीय, दिघुल प्रथम, दिघुल द्वितीय।

महिला- सलैयाडीह तृतीय, मेदनीखाड़, कटौली महिला, कटौंधी प्रथम

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 की आरक्षण की सूची को जारी कर दी गई है। इस बार जिले के 629 ग्राम पंचायतों में 212 सीटें महिलाओं के लिए , जबकि 207 सीटें अनारक्षित हैं। वहीं जिला पंचायत सदस्य की 11 सीटों पर महिलाओं और ब्लाक प्रमुख की चार सीटों पर महिलाओं के लिये आरक्षित हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण की सूची जारी कर दी गई। जिला पंचायत राज अधिकारी के मुताबिक इस बार जिले की 629 ग्राम पंचायतों में 207 सीटें अनारक्षित हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट महिला के लिए आरक्षित हो गई है। जिला पंचायत सदस्य की 31 सीटों में कुल 11 सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं।

वहीं छह सीटें अनारक्षित हैं। जबकि, पांच सीटें पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित हैं। शेष सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। ब्लाक प्रमुख के 10 पदों में चार सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जबकि तीन सीटें अनारक्षित हैं। पिछड़ी के लिए एक सीट पिछड़ा वर्ग, एक अनुसूचित तथा एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। इसी प्रकार ग्राम प्रधान के 629 पदों पर 207 पद अनारक्षित हैं, जबकि महिलाओं के लिए 212 सीटें आरक्षित की गई हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य के 781 सीटों में 642 सीटें आरक्षित की गई हैं।

**सन्दर्भ सूची :-**


1. मैथ्यू, जार्ज, (1994), "पंचायत राज इन इण्डिया: नई दिल्ली, फ्राम लेजिसलेशन द मुवमेन्ट'', इन्स्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज, बी-7/18 सफदरगंज इक्लेव

2. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, (1994)

3. लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार, संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, (1947)

4. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, (1961)

5. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, (1994)

6. पाणीग्रही, राजीव लोचन, (2010), 'पंचायती राज इन्स्टीट्यूशस इम्प्यूल्ड चैलेन्जेज', डिसकवरी पब्लिसिंग हाऊस, नई दिल्ली

7 . https://sonbhadra.nic.in/notice/zila-panchyet-sonbhadra/

8. दत्त, डा. महेश्वर, (2003), "गाँधी का पंचायती राज", (दिल्ली: हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निर्देशालय), प्रथम संस्करण.

9. मिश्र, डा. सचिदानन्द (1984), "प्राचीन भारत में ग्राम एवं ग्राम्य जीवन", (गोरखपुर: पूर्वा संस्थान, प्रथम संस्करण)

10. के. शेषाद्री, (1976), "भारतीय राजनीति तब और अब", दिल्ली प्रगति प्रकाशन, नई दिल्ली

11. राय, ओ.पी.: उत्तर प्रदेश ग्रामसभा, ग्राम पंचायत एवं भूमिप्रबन्ध समिति मैनुअल (नयी पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित), (इलाहाबाद ला काटेज), 2001.

12. रजनी कोठारी, (1980), "भारत की राजनीति", ओरिएंट लॉन्गमैन लिमिटेड, नई दिल्ली

13. प्रसाद, विरकेश्वर (2003), "भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं संवैधानिक विकास", (नई दिल्ली: ज्ञानदा प्रकाशन)

14. नारंग, ए.एस, (2005), "भारतीय शासन एवं राजनीति", (नई दिल्ली: गीतांजलि पब्लिशिंग हाऊस),

15. बिष्ट बी.एस (2006) ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड ए स्टडी ऑफ एजुकेशन हेल्थ हाइजीन एंड न्यूट्रिशन नई दिल्ली कल्पाज पब्लिकेशन पेज -105

16. साहनी अशोक कुमार (2014), "चेंजिंग सोसिओ इकोनॉमिक सनारियो अमोंग द ट्राइब्स ऑफ़ उत्तरखंड , आईजेएआरएमएसएस वॉल्यूम -3 पेज -375

17. सिंह, बच्चन: भारत में जाति प्रथा और दलित ब्राह्मणवाद, (वाराणसी: विश्व विद्यालय प्रकाशन), प्रथम संस्करण, 2006.

18. लिंटन, राल्फ (1945), "द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पर्सनैलिटी", एपिलेटिन सेंचुरी क्राफ्ट्स, न्यूयॉर्क, पेज 31

19. ए.पी. अवस्थी, (2009), "भारतीय राज व्यवस्था, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल", आगरा 2009

20. ब्रह्मदेव शर्मा, सहभागिता विकेन्द्रीयकरण और विकास भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

21. रामसूरत सिंह, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम तथा नियमावली (एलेयाला एजेंसी, इलाहाबाद)

22. चौधरी सरित के और चौधरी सुचेता सेन (2005) समकालीन भारत की आदिम जनजातियाँ नृवंशविज्ञान और जनसांख्यिकी खंड III दिल्ली मित्तल प्रकाशन पेज 131

23. मोहंती पी.के (2010 ) एनीक्लोपीडिया ऑफ प्रिमिफाइव ट्राइब्स इन इंडिया एंथ्रोपोलॉजी ट्राइबल स्टडीज, दिल्ली कल्पाज प्रकाशन पेज -510

24. डॉ मेहता प्रकाश चंद, (2004), "एटलस ऑफ इंडियन ट्राइब्स", नई दिल्ली डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस पेज -59

25. मेहता बीएच (1984) ए स्टडी ऑफ डायनेमिक्स ऑफ गोंड सोसाइटी, नई दिल्ली, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी पेज -58-60 .

26. श्रीवास्तव,शिवानन्द, उत्तर प्रदेश पंचायती राज मेन्यूअल,इलाहाबाद हिन्द पब्लिकेशन हाऊस,1999

Census of India Website: Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. (2019). Retrieved from http://censusindia.gov.in

http://panchayatiraj.up.nic.in/

https://censusindia.gov.in/2011-common/censusdata2011.html

https://sonbhadra.nic.in/notice/zila-panchyet-sonbhadra/

https://panchayat.gov.in/state/ut-pr-act

https://hindi.mapsofindia.com/uttar-pradesh/sonbhadra/sonbhadra-district-map.html

http://sec.up.nic.in/site/symbol.aspx

http://upscst.in/castelist.html